वर्ष 24 | अंक 12 | सांचौर सोमवार , 15 जून, 2026 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | UDYAM-RJ-19-0033346 | कुल पृष्ठ - 4

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post By Periodical post (Press and Registration of Periodicals Act, 2023)

Www.MarwadkaMitra.in

IF UNDELIVERED PLEASE RETURN TO Regd. Office
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - जालोर (343041)

मारवाड़ का मित्र

सहकारी आंदोलन को समर्पित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र (मारवाड़ आंचल से प्रकाशित) सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

अपेक्स बैंक और 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों के बाहर कबाड़ बन चुकी पुरानी एटीएम मशीनों को हटाकर अब नए एटीएम लगाने की तैयारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की रीढ़ माने जाने वाले सहकारी बैंकिंग ढांचे को पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्य के सहकारिता विभाग और दि राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। पिछले कई वर्षों से उचित रखरखाव और देखरेख के अभाव में कबाड़ बन चुकी बैंकिंग मशीनों को हटाने और उनके स्थान पर अत्याधुनिक, सुरक्षित और नए एटीएम (कैश डिस्पेंसर) लगाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बड़े बदलाव के तहत, सहकारिता विभाग राज्य के शीर्ष सहकारी बैंक और राज्य के 29 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के नेटवर्क में 103 नए एटीएम मशीनें स्थापित करने जा रहा है। इस पूरी खरीद और अगले 7 वर्षों के रखरखाव पर कुल 6,75,61,002 (कर सहित) खर्च किए जा रहे हैं। सरकारी स्तर पर इस खरीद के आदेश जारी होने के बाद अब सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर अपने-अपने क्षेत्रों में एटीएम साइट्स को बिजली बैकअप और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाओं के साथ तत्काल तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। सहकारी बैंकों में डिजिटल

जयपुर सीसीबी की शाखा के पास बंद पड़ा एटीएम

सुविधाओं के विस्तार की कहानी जितनी आकर्षक है, उतनी ही इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि समय पर ध्यान न दिए जाने के कारण पुरानी मशीनें समय से पहले ही दम तोड़ गईं। पूर्व में खरीदे गए एटीएम तकनीकी रूप से अपग्रेड न होने और विभागीय उदासीनता के कारण पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आंख-मिचौली, वोल्टेज का उतार-चढ़ाव, धूल और एयर कंडीशनिंग के काम न करने के कारण इन कीमती मशीनों के मदरबोर्ड और हार्डवेयर खराब हो गए। देखरेख की कमी का आलम यह था कि इन एटीएम के खराब होने के बाद समय पर इनकी मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे यह बैंकों की शाखाओं के बाहर महज एक 'कबाड़ का डिब्बा' बनकर रह गए। कई जिलों में तो एटीएम कक्षों का उपयोग फाइलों या अन्य कबाड़ सामान को रखने के लिए किया जाने लगा था। हाल ही में सहकारिता विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ विधायक चन्द्रभान सिंह चौहान के सवाल पर दिए गए जवाब के मुताबिक, राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंकों का केवल एक एटीएम ही पूरे प्रदेश में सुचारू रूप से संचालित हो पा रहा था, जबकि बाकी सभी मशीनें तकनीकी खराबी या लिंक न होने के कारण बंद पड़ी थीं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सहकारिता विभाग और बैंक प्रबंधन ने इन पुरानी और अनुपयोगी मशीनों को हटाने का फैसला किया है। नई खरीद योजना के तहत, इन पुराने कबाड़ हो चुके एटीएम को 'बाय-बैक' नीति के तहत वेंडर को वापस सौंपा जा रहा है। प्रति एटीएम मात्र 1,000 रुपये (बिना टैक्स) और टैक्स सहित 1,180 रुपये की मामूली दर पर कुल 103 पुरानी मशीनों का बाय-बैक मूल्य 1,21,540 महज आंका गया है, जिसे कुल खरीद राशि में से घटाया जाएगा। हालांकि यह राशि मशीनों की मूल लागत के मुकाबले बेहद कम है, लेकिन कबाड़ बन चुके इस ढांचे से मुक्ति पाने और नई तकनीक लाने के लिए इसे एक आवश्यक कदम माना जा रहा है।

घटते एटीएम और बढ़ता डिजिटल ट्रांजैक्शन

राजस्थान में एटीएम नेटवर्क की स्थिति को समझने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और सांख्यिकी कार्यालय के हालिया आंकड़े चौंकाने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान में डिजिटल लेनदेन में भारी बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक आयु की कुल आबादी का लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा अब ऑनलाइन या डिजिटल लेनदेन कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में यूपीआई का उपयोग सबसे तेजी से बढ़ा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 16.2 प्रतिशत लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल भुगतान के इस बढ़ते चलन के कारण बैंकों ने अपनी परिचालन लागत को घटाने के लिए एटीएम की संख्या में कटौती शुरू कर दी थी। आंकड़ों के मुताबिक, राजस्थान में मात्र छह महीनों के भीतर एटीएम की कुल संख्या में 8.20 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण राज्य भर में 1,233 एटीएम बंद कर दिए गए और कुल एटीएम की संख्या घटकर 13,809 रह गई। एटीएम बंद करने की होड़ में सबसे आगे सहकारी बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक रहे हैं। सहकारी बैंकों ने अपने 45.25 प्रतिशत और स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने लगभग 39.91 प्रतिशत एटीएम बंद कर दिए। सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी बैंकों ने अपने एटीएम नेटवर्क में 10.07 प्रतिशत की कमी की (975 एटीएम बंद किए), जबकि इसके उलट निजी (प्राइवेट) बैंकों ने बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एटीएम की संख्या में 1.53 प्रतिशत (67 नए एटीएम) की मामूली बढ़ोतरी की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे अधिक 228 ऑफसाइट एटीएम बंद किए हैं, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 131 और पंजाब नेशनल बैंक ने 116 ऑफसाइट एटीएम पर ताला लगाया है।

परियोजना वित्तीय विश्लेषण (103 एटीएम खरीद एवं रखरखाव)

कार्य / मद का विवरण	कुल मात्रा	दर प्रति एटीएम	कुल मूल्य (टैक्स सहित)
नया एटीएम (कैश डिस्पेंसर मशीन) इसमें 3 वर्ष की व्यापक वारंटी और आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार प्रति एटीएम 4 अतिरिक्त कैश कैसेट शामिल हैं।	103	5,06,798	5,20,97,270.00
एटीएम मशीनों का एएमसी 3 वर्ष की वारंटी समाप्त होने के बाद अगले लगातार 4 वर्षों के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।	103 (4 वर्ष)	1,29,000	1,33,69,400.00
कबाड़ एटीएम मशीनों का बाय-बैक पुराने NCR, Vortex आदि मशीनों को वेंडर द्वारा वापस लेने पर घटाई गई राशि	103	-1,180	-1,21,540.00

राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में 6.75 करोड़ के निवेश से सहकारी बैंकिंग ढांचे का नया और आधुनिक रूप सामने आने जा रहा है।

बैंकिंग विशेषज्ञों का नजरिया

बैंकिंग विशेषज्ञ के अनुसार, डिजिटल लेनदेन बढ़ने से बैंकों ने लागत कम करने के लिए एटीएम जरूर कम किए हैं, लेकिन राजस्थान के ग्रामीण इलाकों और बुजुर्ग वर्ग के लिए आज भी डिजिटल लेनदेन पूरी तरह सहज नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली, सहालग (शादियों के सीजन) और कृषि उपज की बिक्री के समय आज भी नकद की भारी मांग रहती है। ऐसे में केवल डिजिटल नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। बैंकों को माइक्रो एटीएम, मोबाइल एटीएम और एजेंट बैंकिंग के साथ-साथ पारंपरिक एटीएम नेटवर्क को भी मजबूत रखना होगा।

सवाल जो जवाब मांगते हैं

क्या हम डिजिटल युग में पत्थर युग की ओर बढ़ रहे हैं?

सहकारी बैंकों के गलियारों में आजकल एक अजीब सी खामोशी और बेतुके फैसलों का शोर है। लाखों की कीमत वाली एटीएम मशीनों को मात्र 1,000 रुपये के 'कबाड़' दाम पर बेचने का फैसला आखिर किस 'अर्थशास्त्री' की मेधावी सोच का नतीजा है? क्या यह बैंकों की संपत्ति को कौड़ियों के दाम लुटाने का एक सोची-समझी साजिश नहीं है?विभागीय विडंबना देखिए, जिन मशीनों के रखरखाव के लिए कोई ठोस योजना तक नहीं थी, उन्हें वोल्टेज के मामूली उतार-चढ़ाव और धूल ने ही 'अस्तित्वहीन' कर दिया। जब देश का आम आदमी चाय की थड़ी से लेकर बड़े शोरूम तक यूपीआई के जरिए डिजिटल क्रांति का परचम लहरा रहा है, तब महकमा 6.75 करोड़ रुपये से अधिक का बजट फूँककर फिर से वही पुरानी एटीएम मशीनें खरीदने की जिद पर अड़ा है। जहां निजी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान लागत घटाने के लिए खुद को डिजिटल ऐप्स और मोबाइल तक सीमित कर रहे हैं, वहीं सहकारी बैंकों की यह पुरानी सोच आखिर किस 'आधुनिकता' को बढ़ावा दे रही है? सवाल वाजिब है, मगर जवाब शायद फाइलों की धूल में कहीं खो गए हैं।

कितनी होगी लागत और क्या हैं शर्तें?

इस कबाड़ हो चुके सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए दि राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने एक व्यापक टेंडर प्रक्रिया आयोजित की थी। इस पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के बाद जयपुर स्थित प्रमुख तकनीकी वेंडर मैसर्स पेर्टो इंडिया प्राइवेट का चयन किया गया है। बैंक ने 25 मई, 2026 को क्रय आदेश जारी कर दिया है। इस बड़ी परियोजना के तहत नए एटीएम (कैश डिस्पेंसर मशीन) की कुल खरीद लागत 5,20,97,270 है, जिसमें 3 वर्ष की व्यापक वारंटी और प्रत्येक मशीन के साथ 4 अतिरिक्त कैश कैसेट शामिल हैं। इसके अलावा पूरे नेटवर्क की ऑनलाइन निगरानी के लिए टर्मिनल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन टूल और सुरक्षा के लिए ओटीसी लॉक मैनेजमेंट सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर भी खरीदे जा रहे हैं। वेंडर कंपनी के साथ बैंक का यह अनुबंध कुल 7 वर्षों के लिए होगा, जिसमें शुरुआती 3 साल की वारंटी और उसके बाद के लगातार 4 वर्षों के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) शामिल है। इस परियोजना में सुरक्षा और काम की गुणवत्ता को लेकर कड़े नियम तय किए गए हैं, जिसके तहत वेंडर को मुख्य बैंकिंग सॉफ्टवेयर के साथ सफल टेस्टिंग के बाद अगले 6 सप्ताह के भीतर सभी चिन्हित स्थानों पर एटीएम लगाना और चालू करना अनिवार्य होगा, अन्यथा भारी पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही भुगतान की शर्तों को भी सख्त रखा गया है, जिसमें 90 प्रतिशत भुगतान सफल इंस्टॉलेशन के बाद होगा और शेष 10 प्रतिशत राशि अगले तीन वर्षों तक वारंटी के सफल संचालन पर किस्तों में दी जाएगी ताकि वेंडर मशीनों को लावारिस न छोड़ सके।

टाइमलाइन और पेनल्टी

वेंडर को कार्यादेश मिलने के 2 सप्ताह के भीतर जयपुर स्थित मुख्य शाखा में टेस्टिंग के लिए एक 'टेस्ट बेड' एटीएम मशीन लगानी होगी। इसके बाद नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बैंक के मुख्य बैंकिंग सॉफ्टवेयर के साथ सफल एकीकरण के 6 सप्ताह के भीतर राज्य के सभी चिन्हित 103 स्थानों पर एटीएम लगाना और चालू करना अनिवार्य होगा। यदि कंपनी समय पर काम पूरा नहीं करती है, तो उस पर भारी तरलीकृत हर्जाना और पेनल्टी लगाई जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से वेंडर को बैंक के साथ नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट और सुरक्षा नीति का अनुपालन प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करना होगा। मशीनों में चोरी या धोखाधड़ी रोकने के लिए ओटीपी आधारित वन-टाइम कोड लॉक मैनेजमेंट सॉल्यूशन दिया जा रहा है।

कहाँ-कहाँ लगेंगे नए एटीएम?

राजस्थान में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में 103 नए एटीएम स्थापित किए जाएंगे। अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक रणजीत सिंह चुंडावत के आदेशानुसार, इन एटीएम को राज्य के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रामीण केंद्रों पर लगाया जाएगा। इस विस्तार योजना के तहत प्रदेश के कई जिलों में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। बाड़मेर जिले में धोरीमन्ना, चौहटन, सिवाना, शिव, पादरू, बालोतरा-2, नोखड़ा, पाटोदी, एसपी सिंह शाखा, सिणधरी, समदड़ी, गुड़ामालानी, कल्याणपुर, जसोल, कृषि उपज मंडी और सेड़वा शाखा क्षेत्रों में नई मशीनें लगाई जा रही हैं। वहीं, जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के अंतर्गत नई सड़क, पावटा, बिलाड़ा, पीपाड़, भोपालगढ़, बावड़ी, ओसियां, तिंवरी, फलोदी, बाप, शेरगढ़, बालेसर, लूणी, देचू, आऊ, मथानिया और लोहावट शाखाओं में नई एटीएम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसी प्रकार उदयपुर जिले में बापू बाजार, ऋषभदेव, भिंडर, बड़गांव, सलूंबर, शास्त्री सर्कल, झाड़ोल, सराड़ा, गिरवा, कांकरोली, आमेट, भीम, देवगढ़, नाथद्वारा, रेलमगरा और धरियावद में एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया जा रहा है। जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के तहत वैशाली नगर, तुंगा और सांभर लेक में भी एटीएम लगाए जाएंगे। इनके अलावा चूरू (मुख्य शाखा), बांसवाड़ा (सज्जनगढ़ व मुख्य शाखा), झुंझुनूं, सीकर (सीकरी, बसंत विहार, टोडी नगर, पलसाना), पाली (कॉलेज रोड), बीकानेर, हनुमानगढ़ (संगरिया, रावतसर, टिब्बी, टाउन), बारां, झालावाड़ (बकानी, मनोहर थाना, पिड़ावा, सारोला कलां, सुनेल), सवाई माधोपुर, बूंदी (तलेरा, के. पाटन, लाखेरी, नैनवां, बूंदी मुख्य, हिंडोली), डूंगरपुर (सीमलवाड़ा, मुख्य कार्यालय, सिटी ब्रांच) और अजमेर (मुख्य कार्यालय, बिजयनगर, खाइलैंड, किशनगढ़, केकड़ी, नसीराबाद, पीसांगन) में भी बड़े स्तर पर मशीनें स्थापित की जा रही हैं। योजना के तहत जयपुर और जोधपुर में स्थित शीर्ष बैंक की प्रमुख शाखाओं में भी अत्याधुनिक कैश डिस्पेंसर लगाए जाएंगे, जिनमें जयपुर की सी-स्कीम, नेहरू बाजार, लाल कोठी, बरकत नगर, जवाहर नगर, मालवीय नगर, मानसरोवर, प्रताप नगर, जगतपुरा और सीकर रोड शाखाएं शामिल हैं।

191 में से सिर्फ एक एटीएम है चालू

सहकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर इससे बड़ा 'मजाक' और क्या होगा कि राज्य के 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों का पूरा एटीएम नेटवर्क ही दम तोड़ चुका है। जिस सहकारिता विभाग के कंधे पर 95 लाख 24 हजार ग्राहकों के भरोसे की जिम्मेदारी है, वहां की जमीनी हकीकत यह है कि राज्यभर में लगाए गए 191 ऑन-साइट एटीएम में से आज सिर्फ 'एक' मशीन चालू है। बाकी 190 मशीनें कब की कबाड़ बन चुकी हैं, यह बात राजस्थान विधानसभा के पटल पर खुद सरकार ने स्वीकार की है। चौंकाने वाली बात यह है कि चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह चौहान के सवाल पर जब कच्चा-चिट्ठा खुला, तो पता चला कि साल 2016-17 में बड़ी धूमधाम से जो 191 एटीएम स्थापित किए गए थे, वे अब 'आउट ऑफ सपोर्ट' होने के नाम पर बंद पड़े हैं। विभाग के पास उनका कोई इलाज नहीं है। मतलब साफ है, करोड़ों की लागत से खरीदी गई मशीनें अब महज शो-पीस बनकर रह गई हैं। हैरानी तो इस बात पर होती है कि उसी विभाग के अधीन अपेक्स बैंक के साल 2012-13 में लगाए गए 12 एटीएम आज भी फर्राटे से चल रहे हैं। जब वे पुरानी मशीनें चल सकती हैं, तो फिर चार साल बाद लगी 190 मशीनों ने इतनी जल्दी दम क्यों तोड़ दिया? और तो और, विभाग ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि नाबार्ड ने इन एटीएम के संचालन के लिए कोई मदद नहीं दी थी, सारा खर्च बैंकों को खुद उठाना पड़ा। जनता पूछ रही है कि जब मशीनें चलानी ही नहीं थीं, तो इन्हें लगाया ही क्यों गया था? 95 लाख से ज्यादा ग्राहकों को सुविधाओं के नाम पर 'सन्नाटा' परोसने वाले इस सहकारी सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा कौन भुगतेगा?

सहकारिता विभाग का 103 नए एटीएम लगाने का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन यह हमारी पुरानी व्यवस्था की विफलता को भी उजागर करता है। पिछले कई वर्षों से विभागीय उदासीनता के कारण करोड़ों की मशीनें रखरखाव के बिना 'कबाड़ का डिब्बा' बन गईं, जो बेहद चिंताजनक था। विधानसभा में सवाल उठने के बाद जागी सरकार का यह कदम अच्छा है, पर भविष्य में इन संपत्तियों को दोबारा कबाड़ होने से बचाने के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए।"

-सूरजभानसिंह आमेरा, सहकार नेता

आज के इस डिजिटल युग में फिजिकल करेंसी का उपयोग तेजी से सिमट रहा है। हालिया बैंकिंग ट्रेंड्स के अनुसार, राजस्थान में एटीएम से नकद निकासी के मामलों में सालाना लगभग 12 से 15 प्रतिशत की बड़ी गिरावट देखी जा रही है, जबकि इसके विपरीत क्यूआर कोड आधारित भुगतान दोगुने हो चुके हैं। जब लोग नकदी रखना ही बंद कर रहे हैं, तब एटीएम नेटवर्क पर ₹6.75 करोड़ का यह भारी-भरकम खर्च वित्तीय रूप से तार्किक नहीं लगता।

-बैंक हितधारक

एक्सपर्ट व्यू

आज हम एआई और अत्याधुनिक फिनटेक के युग में जी रहे हैं, जहाँ बैंकिंग पूरी तरह वर्चुअल हो चुकी है। ऐसे समय में हार्डवेयर-आधारित एटीएम नेटवर्क पर करोड़ों रुपये का निवेश करने के बजाय विभाग को डिजिटल प्लेटफॉर्म मजबूत करने चाहिए थे। मेरा सुझाव है कि विभाग इन पैसों से सभी 29 सीसीबी (जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों) को सीधे यूपीआई पेमेंट्स प्लेटफॉर्म से जोड़े, ताकि ग्रामीण किसान फोन पे और गूगल पे जैसी सर्वाधिक लोकप्रिय सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सकें।

आखिर कब टूटेगा चुप्पी का यह 'मौन'?

सिस्टम की उदासीनता और तीन हजार समितियों का भविष्य:

सहकारी आंदोलन की त्रिस्तरीय संरचना में आधारभूत इकाई के रूप में प्रतिष्ठित ग्राम सेवा सहकारी समितियां आज अपने अस्तित्व के गहरे संकट से जूझ रही हैं। जिस सहकारिता का मूल ध्येय किसानों को साहूकारी के चंगुल से मुक्त कर संबल प्रदान करना था, वही आज नीतिगत जटिलताओं और प्रशासनिक उदासीनता के दलदल में फंसकर दम तोड़ती नजर आ रही है। प्रदेश की लगभग तीन हजार समितियां महज संस्थाएं नहीं, बल्कि केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) की दोषपूर्ण नीतियों और ब्याज पर ब्याज के भारी बोझ तले दबी कर्जदार बनकर रह गई हैं। आर्थिक असंतुलन की इस त्रासदी की जड़ सरकार की महत्वाकांक्षी 'ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना' के क्रियान्वयन में निहित खामियों में है। नियमानुसार, केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा समितियों के माध्यम से वितरित ऋण पर समयबद्ध अदायगी होने पर केंद्र सरकार तीन प्रतिशत और राज्य सरकार चार प्रतिशत ब्याज अनुदान देती है। इस सात प्रतिशत कुल अनुदान में से दो प्रतिशत हिस्सा पैक्स-लैम्पस को मिलना चाहिए ताकि वे अपने संचालन व्यय और कर्मचारियों का वेतन निकाल सकें। परंतु, जमीनी हकीकत इसके उलट है। सरकारी स्तर पर ब्याज अनुदान आवंटन में होने वाली देरी को आधार बनाकर बैंक समितियों को 'बकायादार' घोषित कर देते हैं और फिर उन पर न केवल मूल ब्याज, बल्कि ब्याज पर ब्याज का बोझ भी थोप दिया जाता है। जोधपुर संभाग के आहौर क्षेत्र की पैक्स समितियां इस प्रशासनिक अराजकता का जीता-जागता प्रमाण हैं। यहां की समितियों पर बैंकों द्वारा कथित रूप से करीब तीन करोड़ रुपये का एरियर ब्याज थोपा गया है। तीन वर्षों से हजारों ज्ञापनों, शिकायतों और गुहारों के बावजूद फाइलों का धूल फांकना यह बताता है कि तंत्र का कान इन समितियों की दबी हुई चीखों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। समितियों की कमर तोड़ने वाली यह स्थिति किसी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है, जिसके लिए सीधे तौर पर बैंकिंग प्रणाली की त्रुटिपूर्ण कार्यशैली जिम्मेदार है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए दो वर्ष पूर्व अपैक्स बैंक स्तर पर एक समिति का गठन किया गया था। उम्मीद थी कि यह कमेटी समितियों की बदहाली और बैंक-समिति के बीच बढ़ते असंतुलन का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कर समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगी, लेकिन समय की रेत में यह उम्मीद भी दफन हो गई है। कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। क्या यह चुप्पी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है या फिर सरकारी फाइलों में दबकर रह गया एक और संवेदनहीन अध्याय? सहकारी आंदोलन की सबसे छोटी इकाई का ढांचा ढहने का अर्थ है ग्रामीण ऋण व्यवस्था का पूरी तरह से चरमरा जाना। यदि समय रहते इन समितियों को ब्याज के इस कृत्रिम बोझ से मुक्त नहीं किया गया, तो वे दिन दूर नहीं जब प्रदेश के किसानों का सहारा बनने वाली ये समितियां पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। सहकारिता विभाग और शासन को अब अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता लानी होगी। समस्याओं को टालने की जगह, अपैक्स बैंक की लंबित रिपोर्ट को सार्वजनिक कर उन त्रुटियों को सुधारा जाए, जिन्होंने समितियों को कंगाली की कगार पर खड़ा कर दिया है। ग्रामीण विकास की यह धुरी यदि टूट गई, तो इसका खामियाजा अंततः प्रदेश के अन्नदाता को ही भुगतना होगा। वक्त आ गया है कि कागजी आश्वासनों से इतर ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि सहकारिता का यह दीपक बुझने से पहले उसे आवश्यक ऊर्जा मिल सके।

प्रशासनिक उदासीनता के चलते छह दशक पुराना कृषि ऋण तंत्र बंद होने की राह पर...!

-प्रकाश वैष्णव
लेखक स्तंभकार, संपादक एवं सहकार चिंतक हैं ।

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को बंद या विलय करने के बजाय उनका आर्थिक पुनरुत्थान किया जाए। इसके लिए बैंकों में रिक्त 84% पदों पर नियमित भर्तियां की जाएं और नाबार्ड के माध्यम से विशेष पैकेज दिया जाए। साथ ही, डिजिटल आधुनिकीकरण अपनाकर इस ऐतिहासिक कृषि-ऋण ढांचे को सुदृढ़ बनाना ही न्यायसंगत होगा।

राजस्थान के ग्रामीण और कृषक परिदृश्य को समृद्ध करने वाली स्वायत्त सहकारी संस्थाएं समकालीन प्रशासनिक उदासीनता और नीतिगत विसंगतियों के कारण कालकवलित होने की कगार पर हैं। तिलम संघ, स्फिनफैड, केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल, श्रीगंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स तथा गजसिंहपुर ऑयलसीड प्रोसेसिंग मिल जैसी विशाल संस्थाओं का वित्तीय घाटे और कुप्रबंधन के चलते बंद होना सहकारिता के सिकुड़ते दायरे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी दुखद इतिहास के बाद अब प्रदेश के लाखों किसानों को दीर्घकालीन कृषि ऋण देने वाले प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की बारी आती दिखाई दे रही है। इस घटनाक्रम का सूत्रपात राज्य सहकारी विकास समिति की 21 मई 2026 को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक से हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव ने बैंकों की संचित हानियों पर चिंता व्यक्त करते हुए नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक को इनकी वित्तीय व्यवहार्यता, पुनरुत्थान या जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में इनके विलय के संबंध में एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव द्वारा नाबार्ड से यह रिपोर्ट मांगे जाने से सहकारिता क्षेत्र, किसान संगठनों और कर्मचारी यूनियनों में भारी खलबली मच गई है। इस प्रतिगामी विलोपन के विरोध में ऑल राजस्थान कॉपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन, ऑल राजस्थान कॉपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और सहकारी साख समितियां एम्प्लाइज यूनियन राजस्थान के प्रांतीय

महासचिव ने मुख्य सचिव और नाबार्ड को पत्र लिखकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। यूनियन महासचिव ने इस विचार को आत्मघाती, अतार्किक, गैर-कानूनी और 40 लाख से अधिक किसानों के लिए विनाशकारी बताते हुए बंद या विलय करने के बजाय इनके आर्थिक पुनरुत्थान की मांग की है। पिछले छह दशकों से कृषकों को साहूकारों और निजी वित्तीय संस्थाओं के शोषण से मुक्त कराने तथा सस्ती दरों पर नलकूप, ट्रैक्टर व भूमि सुधार हेतु दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराने वाला यह ढांचा किसानों की आर्थिक रीढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भूमि विकास बैंकों का केंद्रीय सहकारी बैंकों में विलय व्यावहारिक और वैधानिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि सीसीबी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंसधारी संस्थान हैं जो जनता की अमानतें सुरक्षित रखते हैं, जबकि भूमि विकास बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की तरह नाबार्ड के फंड पर काम करते हैं। ऐसे में इस विलय से सीसीबी के जमाकर्ताओं के हित गहरे संकट में पड़ जाएंगे। यह अत्यंत विडंबनापूर्ण है कि जहां प्रशासनिक स्तर पर इनके अस्तित्व को समेटने की रूपरेखा बन रही है, वहीं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बजट में इन बैंकों के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान कर 'मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26' लागू की है, जिसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप बैंकों ने 15 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक 39 प्रतिशत की रिकॉर्ड तोड़ साख वसूली करते हुए 337 करोड़ रुपये नकद वसूले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री के 'सहकार से समृद्धि' संकल्प को साकार करने हेतु केंद्रीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में देश के पहले समर्पित सहकारिता मंत्रालय द्वारा 'कंप्यूटरलाइजेशन ऑफ एआरडीबी' योजना के तहत राजस्थान के लिए 9 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने भी राष्ट्रीय बैठकों में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार इन बैंकों को बंद करने के पक्ष में नहीं, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए इन्हें सशक्त बनाने के पक्ष में है। वास्तविक वित्तीय आंकड़े गवाही देते हैं कि ये बैंक परिचालन लाभ की ओर अग्रसर हैं; वित्तीय वर्ष 2023-24 में 21.50 करोड़ की वार्षिक हानि झेलने वाला राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार वापसी करते हुए 40.73 करोड़ रुपये के शुद्ध वार्षिक लाभ में पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ओटीएस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों में से इस वर्ष 25 से अधिक बैंक लाभ की श्रेणी में आ रहे हैं और कुल ऋण वितरण भी 110.40 करोड़ से बढ़कर 172.95 करोड़ रुपये हो गया है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि बैंकों की हानियों के लिए कार्यप्रणाली नहीं, बल्कि स्वीकृत स्टाफ क्षमता के मुकाबले मात्र 16 प्रतिशत कर्मचारियों का होना जिम्मेदार है। इस 84 प्रतिशत रिक्तता के बावजूद मुट्ठी भर स्टाफ ने साख वसूली को 196 करोड़ से बढ़ाकर 450 करोड़ रुपये के लक्ष्य तक पहुंचाया है। अतः बैंकों को बंद करने के बजाय रिक्त पदों पर नियमित भर्तियां और नाबार्ड के माध्यम से विशेष पैकेज जारी करना ही न्यायसंगत होगा। सहकारिता के जानकारों के अनुसार, यदि नाबार्ड की रिपोर्ट के आधार पर विलय या बंदी का कोई अदूरदर्शी निर्णय लिया गया, तो यह प्रदेश के कृषि तंत्र का सबसे काला अध्याय होगा और कृषक समाज पुनः निजी सूदखोरों के चक्रव्यूह में फंस जाएगा। अब देखना यह है कि सर्वोच्च प्रशासनिक सत्ता और नियामक नाबार्ड मिलकर इस साठ वर्ष पुराने ऐतिहासिक ढांचे को बचाते हैं या फिर यह महत्वपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था भी प्रशासनिक संवेदनहीनता के चलते इतिहास के धूल धूसरित पन्नों में हमेशा के लिए विलीन हो जाती है।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

सरस : स्वाद राजस्थान का और ग्रामीण समृद्धि की नई रीढ़

राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) आज केवल एक संस्था नहीं, बल्कि राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी बन चुका है। यह फेडरेशन "सहकार से समृद्धि" के मूल मंत्र को धरातल पर सिद्ध कर रहा है। वर्ष 1977 में स्वायत्तशासी सोसाइटी के रूप में स्थापित इस संगठन की नींव सत्तर के दशक में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित 'ऑपरेशन फ्लड' यानी श्वेत क्रांति के दौरान रखी गई थी। शुरुआत में बने राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम के कार्यों को बाद में आरसीडीएफ को सौंप दिया गया और इसका मुख्यालय जयपुर में बनाया गया। तब से लेकर आज तक यह संगठन राज्य के लाखों दुग्ध उत्पादक किसानों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं, लघु एवं सीमांत कृषकों को एक संगठित बाजार और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। इस फेडरेशन की सबसे बड़ी खूबी इसका त्रि-स्तरीय सहकारी ढांचा है, जो पूरी पारदर्शिता के साथ प्रसिद्ध 'आनंद पैटर्न' यानी अमुल मॉडल पर काम करता है। इसमें शीर्ष स्तर पर आरसीडीएफ खुद नीति निर्धारण और ब्रांड प्रबंधन का जिम्मा संभालता है, जबकि जिला स्तर पर करीब 24 जिला दुग्ध संघ शीतलन केंद्रों और दुग्ध संयंत्रों के माध्यम से प्रसंस्करण का कार्य करते हैं। सबसे जमीनी और महत्वपूर्ण स्तर ग्राम स्तर पर सक्रिय 18,000 से अधिक प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का है, जो सीधे किसानों से प्रतिदिन दूध का संग्रहण करती हैं और गुणवत्ता के आधार पर सीधा भुगतान सुनिश्चित करती हैं। इस पूरी व्यवस्था ने बिचौलियों और निजी साहूकारों के शोषण को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। किसानों को उनके दूध का पारदर्शी और अधिकतम मूल्य मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ-साथ आजीविका के स्थायी अवसर पैदा हुए हैं। उपभोक्ताओं के नजरिए से देखें तो शुद्धता और भरोसे का दूसरा नाम 'सरस' बन चुका है। आरसीडीएफ अपने सभी दुग्ध और मूल्य संवर्धित उत्पादों का विपणन इसी ब्रांड के नाम से करता है। टोंड, फुल क्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क से लेकर घी, मक्खन, पनीर, दही, छाछ, और रसगुल्ला-गुलाब जामुन जैसी मिठाइयों तक, सरस ने हर घर में अपनी पैठ बनाई है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए फेडरेशन मिलावटखोरी के विरुद्ध बेहद सख्त रुख अपनाता है। दूध संकलन के समय ही कंप्यूटर आधारित स्वचालित जाँच की जाती है और आधुनिक प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो कई प्रकार की मिलावटों को तुरंत पकड़ सकती हैं। एक मजबूत कोल्ड चेन और आईएसओ मानकों के कड़ाई से पालन के कारण ही उपभोक्ताओं तक सुरक्षित और पौष्टिक उत्पाद पहुँच पाते हैं। आरसीडीएफ की भूमिका केवल दूध की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पशुपालकों के संपूर्ण विकास के लिए समर्पित है। पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, नियमित चिकित्सा शिविर और संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकाकरण जैसे व्यापक कार्य किए जाते हैं। पशुओं के स्वास्थ्य और दूध की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए फेडरेशन अपने संयंत्रों के माध्यम से संतुलित पशु आहार और पोषक पूरक वितरित करता है। इसके साथ ही, डेयरी प्रबंधन और आधुनिक पशुपालन तकनीकों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। इस आंदोलन का एक सबसे खूबसूरत पहलू महिला सशक्तिकरण और सामाजिक नवाचार है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष महिला दुग्ध सहकारी समितियों के गठन को प्राथमिकता दी गई है, जिससे वित्तीय निर्णयों में उनकी भागीदारी और सामाजिक स्तर सुधरा है। 'गोपाल सखी योजना' के माध्यम से महिलाओं को जमीनी स्तर पर डेयरी प्रबंधन और पशु स्वास्थ्य की कमान संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हजारों दुग्ध उत्पादकों को 'डेयरी फार्मर एंटरप्रेन्योर' बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं तक सीधे पहुँच बनाने के लिए आधुनिक 'सरस मिनीमार्ट्स' और पार्लरों का विस्तार भी तेजी से किया जा रहा है। बेशक, बदलते समय के साथ आरसीडीएफ के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। निजी डेयरी ब्रांड्स से बढ़ती व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन के कारण दुग्ध उत्पादन में आने वाले उतार-चढ़ाव, और पशु आहार की लगातार बढ़ती लागत जैसी समस्याओं से निपटना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद भविष्य की राह बेहद उम्मीदों भरी है। फेडरेशन तेजी से अपनी कार्यप्रणाली का डिजिटलीकरण और ई-गवर्नेंस कर रहा है ताकि भुगतान और ट्रैकिंग को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। आने वाले समय में प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने, मूल्य संवर्धित उत्पादों की नई रेंज पेश करने और युवाओं तथा महिलाओं में डेयरी आधारित स्टार्ट-अप्स की संभावनाओं को तलाशने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अंततः, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन राज्य के सहकारी आंदोलन का सबसे चमकता हुआ सितारा है। हाल के वर्षों में अपनी क्षमता को 50 लाख लीटर प्रतिदिन से अधिक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचाकर इसने साबित किया है कि सही विजन और निष्ठा से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। "सरस" ब्रांड के माध्यम से उपभोक्ताओं का दिल जीतकर आरसीडीएफ ने वास्तव में राजस्थान की ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ने वाले एक अटूट और मजबूत सेतु का निर्माण किया है, जिसने लाखों परिवारों के जीवन में समृद्धि की नई रोशनी बिखेरी है।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

-डॉ. किशोर कुमार
लेखक सहकारी प्रबंध संस्थान, जयपुर के निदेशक हैं ।

राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन अपने 'सरस' ब्रांड के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। त्रि-स्तरीय ढांचे और आधुनिक तकनीक द्वारा यह बिचौलियों से मुक्त, शुद्ध डेयरी उत्पाद प्रदान करता है। यह फेडरेशन पशुपालकों के विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर "सहकार से समृद्धि" के मंत्र को सिद्ध कर रहा है।

उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह: नैनो तकनीक की संभावनाएं और चुनौतियां

खाद संकट का स्वदेशी इलाज बन सकता है नैनो उर्वरक

अरविंद शर्मा
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली: उर्वरकों के कच्चे माल की बेतहाशा बढ़ती कीमतें, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आयात लागत कम करने के प्रयासों के बीच नैनो उर्वरक भारत के लिए नया विकल्प बन सकता है। अभी देश में चार प्लांटों से उत्पादन हो रहा है। प्रत्येक वर्ष 29 करोड़ बोतल निर्माण की क्षमता हासिल कर ली गई है, जो करीब 13.50 लाख टन परंपरागत उर्वरक के बराबर है, लेकिन अभी तक के प्रयासों के बावजूद नैनो तकनीक पारंपरिक उर्वरकों का विकल्प नहीं बन सकी है, जिससे आत्मनिर्भरता की राह अभी लंबी दिख रही है। ऐसे में किसानों को जागरूक करने के लिए इफको ने पिछले महीने से देशभर में नैनो उर्वरक जागरूकता अभियान शुरू किया है। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 390.54 लाख टन उर्वरकों की जरूरत है। अभी देश में 200.47 लाख टन का स्टाक उपलब्ध है, जो कुल जरूरत का करीब 51 प्रतिशत ही उपलब्ध है। सामान्य वर्षों में मई-जून तक स्टाक का स्तर लगभग 33 प्रतिशत रहता है। स्पष्ट है कि अग्रिम भंडारण और प्रबंधन के चलते हम बेहतर स्थिति में हैं। सच्चाई यह है कि देश को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अभी भी उत्पादन और आयात दोनों का सहारा लेना पड़ रहा है। नैनो उर्वरकों की उपयोगिता यहीं पर सामने आती है। नैनो तकनीक के कारण पौधे पोषक तत्वों का अधिक कुशलता से उपयोग कर पाते

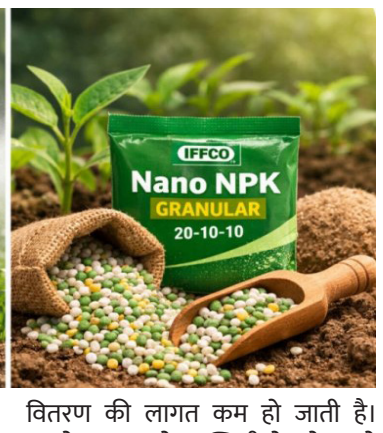

हैं। इससे कम मात्रा में भी अच्छे नतीजे मिलने की संभावना रहती है। मात्र पांच सौ ग्राम की बोतल का असर एक बोरी खाद (45 किलोग्राम) के बराबर रहने के कारण परिवहन, भंडारण एवं वितरण की लागत कम हो जाती है। इससे सरकार के सब्सिडी के बोझ को कम किया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी का बजटीय प्रविधान किया गया है, जो बढ़कर करीब तीन लाख करोड़ रुपये हो सकता है। इफको के अध्यक्ष दिलीप संघाणी का कहना है कि नैनो उर्वरक तकनीक कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर 50 प्रतिशत किसान भी नैनो उत्पादों की ओर बढ़ते हैं तो सब्सिडी पर होने वाला खर्च काफी कम हो सकता है। साथ ही लाजिस्टिक्स लागत, ऊर्जा खपत और आयात निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि नैनो उर्वरकों के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि यह अभी पारंपरिक यूरिया और डीएपी का पूर्ण विकल्प नहीं बन पाया है। इसके दो कारण हैं। पहला किसानों में जागरूकता की कमी और दूसरा छिड़काव के लिए कृषि ड्रोन पर निर्भरता। किसानों को अभी भी परंपरागत उर्वरक पर ज्यादा भरोसा है। जिन किसानों ने इसे स्वीकार भी किया है, उनके लिए ड्रोन की सहज उपलब्धता नहीं है। यही कारण है कि उत्पादन बढ़ने के बावजूद नैनो उर्वरकों का हिस्सा देश की कुल उर्वरक खपत के मुकाबले अभी बहुत कम है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि नैनो उर्वरक आगामी वर्षों में पारंपरिक उर्वरकों की खपत और आयात निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन फिलहाल उसे खाद संकट का पूर्ण समाधान नहीं माना जा सकता। किसानों का भरोसा बढ़ाने, व्यापक वैज्ञानिक परीक्षणों और बड़े पैमाने पर उपयोग के बाद ही यह तकनीक भारत को उर्वरक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के करीब पहुंचा सकेगी

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/- ☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

डेयरी समितियों के खुलेंगे खाते, 'बैंक मित्र' बनकर माइक्रो एटीएम से देंगे सेवाएं

जोधपुर सीसीबी फलोदी शाखा में माइक्रो एटीएम शिविर आयोजित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर। सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की फलोदी शाखा में सहकारिता में सहकार की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए एक विशेष माइक्रो एटीएम कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक पब्बाराम बिश्नोई उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर बैंक के प्रबंध निदेशक अनिल बिश्नोई शामिल हुए। इसके साथ ही जोधपुर सरस डेयरी के प्रबंधक चिरंजीलाल साहू, सहायक रजिस्ट्रार सुरेश चारण और निरीक्षक महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भी शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शिविर के दौरान विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने डेयरी समितियों को विशेष रूप से सहकारी विभाग से जोड़ने पर बल दिया और दुग्ध उत्पादकों के भुगतान की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझा। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने केंद्र सरकार की "सहकार से समृद्धि योजना" के तहत जिले की सहकारी संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यों को और तेज गति से निपटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने फलोदी शाखा में कैश सॉर्टिंग मशीन और बैंक की अन्य गतिविधियों का निरीक्षण भी किया, साथ ही ग्राहकों को बेहतर लाभ देने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। बैंक के प्रबंध निदेशक अनिल विश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के तहत जिले की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के खाते केंद्रीय सहकारी बैंक में खोले जा रहे हैं। इसके अलावा डेयरी और अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों को बैंक मित्र नियुक्त कर उन्हें माइक्रो एटीएम बांटे जा रहे हैं, ताकि वे बैंक सहायक के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं दे सकें। शिविर में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं को दिए जाने वाले ऋण और अन्य सहायताओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई।

माइक्रो एटीएम संचालन की दी जानकारी

नवगठित सहकारी बैंक फलोदी के चेयरमैन शंकर लाल माचरा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 'सहकारिता में सहकार अभियान' की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसान भाइयों तक सहकारिता का पूरा लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम के अंत में सहायक अधिशासी अधिकारी ओमप्रकाश माचरा और कंप्यूटर प्रोग्रामर मनीष बी शर्मा ने उपस्थित लोगों को मोबाइल बैंकिंग और माइक्रो एटीएम कार्ड के संचालन की तकनीकी प्रक्रिया से अवगत कराया। इस दौरान फलोदी क्षेत्र की सभी शाखाओं द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

दिवंगत ऋणी सदस्य की पत्नी को सौंपा 10 लाख का दुर्घटना बीमा चेक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की कृषि उपज मंडी शाखा में राज्य सरकार की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत दिवंगत ऋणी सदस्य के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख रुपए का क्लेम चेक सौंपा गया। शाखा प्रबंधक मोतीलाल सुथार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ऊंडखा ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऋणी सदस्य चतर सिंह पुत्र डामर सिंह की वर्ष 2024 में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए क्लेम की राशि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हर कंवर के नाम से स्वीकृत की गई, जिसका चेक सोमवार को बैंक शाखा में उन्हें सुपुर्द किया गया। सरकार की इस योजना से पीड़ित परिवार को इस मुश्किल वक्त में बड़ा सहारा मिला है। इस दौरान बैंक स्टाफ और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। चेक वितरण के इस मौके पर शाखा प्रबंधक मोतीलाल सुथार के साथ बीमा प्रकोष्ठ प्रभारी श्रीमती पूजा चौधरी, बैंकिंग सहायक गौरव पारीक, व्यवस्थापक किशन सिंह, सबल सिंह, करना राम चौधरी और नग सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया।

दुग्ध उत्पादकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने पर जोर

जालोर-सिरोही डेयरी संघ में 'सहकार से समृद्धि अभियान' का आगाज,

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जिले में सहकारिता को सशक्त बनाने की दिशा में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जालोर-सिरोही के मुख्यालय में 'सहकार से समृद्धि अभियान' का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डेयरी से जुड़े किसानों और समितियों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं और वित्तीय साक्षरता से जोड़ना है। अभियान के उद्घाटन सत्र में रानीवाड़ा क्षेत्र की विभिन्न डेयरी समितियों के सचिवों ने विशेष रूप से भाग लिया। केंद्रीय सहकारी बैंक जालोर के प्रबंध निदेशक नारायण सिंह चारण ने बताया कि अभियान के दौरान उपस्थित सदस्यों को बैंकिंग सेवाओं के महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार माइक्रो एटीएम कार्ड का उपयोग कर ग्रामीण स्तर पर लेन-देन को आसान बनाया जा सकता है। इसके साथ ही, दुग्ध उत्पादकों के बैंक खाते खुलवाने के लाभों और उन्हें 'बैंक मित्र' के रूप में जोड़कर समितियों की आय में वृद्धि करने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा की गई। अभियान के पहले ही दिन उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले, जहां 3 डेयरी समितियों और 20 दुग्ध उत्पादक सदस्यों ने बैंक खाते खुलवाने के लिए अपने आवेदन जमा किए। इस पहल से भविष्य में दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने और सहकारी ढांचे को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी सुभाष चन्द्र, फिल्ड ऑफिसर जवान सिंह बालावत, रानीवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के शाखा प्रबंधक दीपक कुमार के साथ-साथ बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्य और स्थानीय किसान उपस्थित रहे।

जेसीसीबी चितलवाना शाखा में समीक्षा बैठक : ऋण वसूली तेज करने के निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की चितलवाना शाखा में आज एक महत्वपूर्ण प्रगति समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया । बैंक के प्रबंध निदेशक नारायण सिंह की अध्यक्षता में चितलवाना शाखा के प्रबंधक और इसके अधीन आने वाली सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) के व्यवस्थापकों ने इस बैठक में भाग लिया । इस दौरान पैक्स कंप्यूटराइजेशन की वर्तमान स्थिति, अल्पकालीन फसली ऋण वितरण और बकाया ऋणों की वसूली की प्रगति की गहन समीक्षा की गई । इसके साथ ही शाखा के एनपीए और ओवरड्यू खातों से ऋण वसूली के प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए गए । बैठक में सरकार की महत्वाकांक्षी 'सहकार से समृद्धि' योजना के क्रियान्वयन, नवगठित एमपीएसीएस को बैंक की सदस्यता दिलाने और संबंधित किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रगति को भी परखा गया । काश्तकारों व ग्राहकों को रुपे डेबिट कार्ड वितरण की स्थिति, कासा जमा खातों में बढ़ोतरी, अमानत संग्रहण और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बकाया व ऋण वसूली के आंकड़ों पर भी विस्तार से चर्चा हुई । अंत में, बजट घोषणा के तहत विभिन्न सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण और उनके लिए भूमि आवंटन की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रबंध निदेशक ने सभी व्यवस्थापकों को अद्यतन रिपोर्ट के साथ पूरी गंभीरता से कार्य करने की हिदायत दी ।

सहकारी बैंकों का एफआईजी पोर्टल होगा डिजिटल

जयपुर। राजस्थान सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए 'फाइनेंशियल इंक्लूजन गेटवे' पोर्टल को और अधिक डिजिटल किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत पैक्स और प्राथमिक डेयरी समितियों के व्यवस्थापक अब ग्रामीणों के घर जाकर उनके नए बैंक खाते खोल सकेंगे और जमा राशि का संग्रहण कर सकेंगे। योजना के तहत 30 सितंबर 2026 तक 5 हजार सहकारी समितियों और 31 मार्च 2027 तक सभी 12 हजार सक्रिय दुग्ध उत्पादक समितियों को 'बैंक मित्र' बनाकर माइक्रो एटीएम से लैस किया जाएगा। नाबार्ड के सहयोग से मिलने वाले इन माइक्रो एटीएम की मदद से ग्रामीण घर के पास ही लेन-देन, बैलेंस जांच और ऋण निकासी जैसी सुविधाएं पा सकेंगे। इस डोर-स्टेप बैंकिंग से जहां ग्रामीणों की जमा राशि सुरक्षित होगी, वहीं सहकारी बैंकों की ऋण क्षमता बढ़ेगी। साथ ही, समितियों को कमीशन के रूप में अतिरिक्त आय होगी। राज्य की 11,070 ग्राम पंचायतों में से 9,500 से अधिक में पैक्स का गठन किया जा चुका है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।

पोर्टल पर एंट्री बाद में, लोन पहले ही ट्रांसफर! बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक की 'नूराकुश्ती' और अनियमितता का भंडाफोड़

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर। सहकारिता के क्षेत्र में शुचिता और पारदर्शी व्यवस्था का दम भरने वाले दावों की हवा निकालते हुए बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) में बड़ा वित्तीय और प्रशासनिक घालमेल सामने आया है। सरकार की महत्वाकांक्षी 'गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना' में नियम-कायदों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपए के लोन बांटने के इस गंभीर मामले में विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जोधपुर खंड देवेंद्र अमरावत ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 55 (5)(6) के तहत जांच परिणामों को सार्वजनिक करते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। इस अनियमितता की आंच में बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक (एमडी) वासुदेव पालीवाल, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी (ईओ) हरिराम पूनिया समेत कई शाखा प्रबंधक और समिति व्यवस्थापक सीधे तौर पर घिर गए हैं, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई के सख्त आदेश दिए गए हैं। यह पूरा प्रकरण वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बाड़मेर जिले में बांटे गए ऋणों से जुड़ा है। योजना में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी की शिकायतें मिलने पर सहकारिता विभाग पंजीयक के आदेश से एक उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया गया था। संयुक्त रजिस्ट्रार एवं विशेषाधिकारी पंकज भानू सिंह गोगावत के नेतृत्व में गठित इस दल ने सघन जांच के बाद 1 मई 2026 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बैंक प्रबंधन की गंभीर लापरवाही और उदासीनता खुलकर सामने आई। जांच रिपोर्ट के अनुसार, बाड़मेर सीसीबी ने राज्य सरकार और शीर्ष बैंक (अपेक्स बैंक) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर रख दीं। योजना के नियमों के मुताबिक जिले को मिले कुल ऋण लक्ष्यों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) में विभाजित कर आवंटित किया जाना था, लेकिन बाड़मेर बैंक ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय, बैंक की आमसभा में हंगामा होने के बाद आनन-फानन में 1 नवंबर 2025 को सीधे शाखावार लक्ष्यों का मनमाना आवंटन कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ऋणों की सुरक्षा और साख सीमा निर्धारण को लेकर हुआ है। जांच में पाया गया कि बैंक ने ऋण की सुरक्षा के लिए न तो आवेदकों से पोस्ट डेटेड चेक लिए और न ही ईसीएस मैंडेट प्राप्त किए। इसके अलावा, योजना के तहत ऋण राशि से सृजित होने वाली चल-अचल संपत्तियों (जैसे पशु शेड या खेली निर्माण) का कोई भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया और न ही उनका कोई बीमा सुनिश्चित किया गया। मौके पर की गई जांच में अधिकांश जगहों पर शेड और खेली का निर्माण धरातल पर मिला ही नहीं, जिससे यह साफ होता है कि केवल कागजों में ही लोन बांट दिए गए। इतना ही नहीं, ऋण राशि की स्वीकृति में भी भारी विसंगति देखी गई। जहां जयपुर सीसीबी ने प्रति गोपालक औसतन 47,700 रुपये का ऋण स्वीकृत किया, वहीं बाड़मेर सीसीबी ने नियमों को ताक पर रखकर लगभग हर आवेदक को योजना की अधिकतम सीमा यानी 1-1 लाख रुपये का लोन थमा दिया। बाड़मेर बैंक ने 12,088 पशुपालकों को कुल 11,840.83 लाख रुपये का अंधाधुंध ऋण वितरित कर दिया। शाखा प्रबंधकों ने आवेदकों की ऋण पुनर्भुगतान क्षमता या उनकी साख की जांच करने की जहमत तक नहीं उठाई। हद तो तब हो गई जब बैंक ने ऐसे 452 डिफॉल्टर ऋणियों को भी लोन जारी कर दिया, जिन पर पहले से ही पुराना फसली ऋण बकाया चल रहा था। उदाहरण के तौर पर 'मीठे का तला' जैसी सहकारी समिति में 5 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण अवधिपार था, फिर भी वहां धड़ल्ले से नए लोन बांटे गए। इन गंभीर चूकों के लिए तत्कालीन एमडी वासुदेव पालीवाल को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। पालीवाल के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम 1958 के नियम 16 के तहत मेजर पेनल्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी हरिराम पूनिया को अपनी फील्ड विजिट के दौरान भौतिक सत्यापन न करने और ऋण वसूली में पर्यवेक्षणीय लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है। विभाग ने बाड़मेर सीसीबी के वर्तमान प्रबंध निदेशक को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे एक महीने के भीतर सभी दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ बैंकिंग सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें और कृत कार्रवाई की बिंदुवार रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवाएं।

तीन एलएस के खिलाफ गंभीर आदेश

सहकारिता विभाग की इस कड़क जांच में बैंक के तीन ऋण पर्यवेक्षकों (लोन सुपरवाइजर) की भूमिका सबसे ज्यादा संदेहास्पद और गंभीर पाई गई है । तीन ऋण पर्यवेक्षकों पर आरोप है कि इन्होंने अपने पदीय दायित्वों का दुरुपयोग किया । इन तीनों के अधीन आने वाली सोसाइटियों में क्रमशः 16 और 25 से अधिक ऐसे मामले पकड़े गए जहां इन्होंने जानबूझकर भारी अवधिपार ऋण वाले सदस्यों को नियमों के विरुद्ध जाकर नए ऋण स्वीकृत करवाए और स्वयं ही उनकी अनुशंसा कर दी । जो कर्मचारी बैंक के लोन की वसूली कराने के लिए सीधे अधिशाषी अधिकारी के सुपरविजन में काम करते थे, उनका खुद इस गड़बड़झाले में लिप्त होना एक गंभीर कृत्य माना गया है, जिसके चलते इनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ।

आपसी नूराकुश्ती; एक-दूसरे पर फोड़ा ठीकरा

जांच अधिकारियों के सामने बयान दर्ज करवाते समय बैंक के अधिकारियों और लोन प्रभारियों के बीच जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की नूराकुश्ती देखने को मिले । तत्कालीन एमडी वासुदेव पालीवाल ने जहां पूरी जिम्मेदारी निचली शाखाओं और समिति व्यवस्थापकों पर डाल दी, वहीं शाखा प्रबंधकों ने ठीकरा प्रधान कार्यालय के सीबीएस (कोर बैंकिंग सॉल्यूशन) सिस्टम पर फोड़ दिया । चौहटन और शिव शाखा के तत्कालीन प्रबंधकों का तर्क था कि किसी सदस्य के ओवरड्यू या डिफॉल्टर होने की डेली डीएमआर रिपोर्ट शाखा स्तर पर नहीं दिखती थी, यह सुविधा सिर्फ हेड ऑफिस के टीएमई विभाग के पास थी । शाखा प्रबंधकों ने कहा कि वे केवल पैक्स व्यवस्थापकों और लोन सुपरवाइजरों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर ही फाइलों को आगे बढ़ाते थे, क्योंकि जमीनी स्तर पर मौका मुआयना करना उन्हीं का काम था ।

जीसीसी पोर्टल पर एंट्री से पहले ही बांट दिया लोन

जांच में एक और बड़ा तकनीकी घालमेल सामने आया है। कुछ लोन फाइलों के परीक्षण से पता चला है कि जीसीसी आम्रलाइन पोर्टल पर ऋण वितरण की जो तारीख दर्ज दर्शाई गई है, बैंक शाखाओं ने उससे पहले ही आवेदकों के खातों में लोन की राशि ट्रांसफर कर दी थी । इसके अलावा, ऋण राशि तो बचत खातों में भेज दी गई, लेकिन कई मामलों में इस डिस्बर्सल को मुख्य पोर्टल पर अपडेट ही नहीं किया गया । प्रधान कार्यालय स्तर पर स्थापित टीएमई (टेक्निकल, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन) अनुभाग, जो इस पूरी योजना का नोडल विभाग था, उसे ऋणों की टेस्ट चेकिंग या वितरण के बाद की मॉनिटरिंग से पूरी तरह दूर रखा गया । टीएमई या समिति अनुभाग से कभी यह जांच ही नहीं करवाई गई कि कहीं पुराने डिफॉल्टरों को दोबारा रेवड़ी की तरह लोन तो नहीं बांटे जा रहे हैं, जिससे पूरी बैंकिंग प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं ।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) सोमवार , 15 जून, 2026
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
MSME Reg. - UDYAM-RJ-19-0033346

सहकारिता विभाग का सुशासन : समस्याओं से मुंह मोड़ा, सीधे FIR का चाबुक छोड़ा..!

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सुविधाओं के नाम पर 'आउटसाइडर', काम के बोझ में 'सरकारी'

विभाग के इस रवैये की पोल विधानसभा में दिए गए सरकारी जवाबों से भी खुलती है। विधायक प्रशांत शर्मा के तारांकित प्रश्न के उत्तर में विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैक्स व्यवस्थापक न तो सरकारी कर्मचारी हैं और न ही उन्हें राज्य सेवा में शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। स्थिति यह है कि सेवा-शर्तों के मामले में इन्हें 'आउटसाइडर' मानकर सुविधाओं से वंचित रखा गया है, लेकिन काम के दबाव और एफआईआर जैसी धमकियों के मामले में उनसे सरकारी मशीनरी जैसी अपेक्षाएं की जा रही हैं। विभाग की हठधर्मिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश की अधिकांश पैक्स-लैम्प्स में तैनात व्यवस्थापकों को पिछले दो साल से नियमित मासिक वेतन तक नहीं मिला है। एक ओर आर्थिक तंगी का दंश झेल रहे ये कर्मी हैं, तो दूसरी ओर एक-एक व्यवस्थापक के कंधों पर तीन से चार समितियों का अतिरिक्त कार्यभार है। खाली तिजोरी और ओवरलोडिंग के बोझ तले दबे इन कार्मिकों से डिजिटल चमत्कार की उम्मीद करना नौकरशाही की संवेदनहीनता का चरम है।

जयपुर, सहकारिता विभाग इन दिनों पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के नाम पर चल रहे एक ऐसे 'डिजिटल प्रयोग' को लेकर चर्चा में है, जिसे विशेषज्ञ सहकारी आंदोलन की नींव को कमजोर करने वाला मान रहे हैं। हाल ही में राजफैड प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित हुई पैक्स कम्प्यूटराईजेशन परियोजना की संभागवार समीक्षा बैठक के बाद सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं प्रशासक अपेक्स बैंक द्वारा जारी आधिकारिक कार्यवाही विवरण ने प्रदेश भर के पैक्स व्यवस्थापकों में हड़कंप मचा दिया है। शासन सचिव स्तर से जारी इस दस्तावेज में पैक्स व्यवस्थापकों के लिए जारी किए गए सख्त निर्देश और वक्तव्य प्रदेश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं | शासन सचिव एवं प्रशासक अपेक्स बैंक स्तर से स्पष्ट किया गया है कि "ई-पैक्स/ डायनामिक डे-एण्ड के लिए ऑन-सिस्टम ऑडिट की अनिवार्यता नहीं है, निर्देशों में कहा गया है कि ऑन-सिस्टम ऑडिट का इंतजार किये बिना नियमित रूप से डे-एण्ड करते हुए 10 जून से पूर्व समस्त पैक्स को ई-पैक्स में परिवर्तित कराया जावे। इसके साथ ही इस वक्तव्य में यह भी कड़ा निर्देश दिया गया है कि यदि कोई व्यवस्थापक इस कार्य में सहयोग नहीं करता है, तो उसे मात्र 2 दिवस का समय दिया जाए और तत्पश्चात् सीधे एफआईआर दर्ज करवाई जाए" यह सख्त निर्देश ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य के लगभग 8,000 में से 4,000 पैक्स-लैम्प्स में व्यवस्थापकों के पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। विभाग की कार्यप्रणाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्टाफ की भारी कमी के बावजूद, अधिकांश व्यवस्थापकों पर पहले ही सीसीबी शाखाओं में कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक की अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ लाद दिया गया है। जानकारों का कहना है कि जहां संस्थान का बुनियादी ढांचा ही चरमराया हुआ है, वहां सॉफ्टवेयर की जबरिया घुसपैठ और समीक्षा बैठक के बाद सीधे एफआईआर जैसे कड़े निर्देश डिजिटल क्रांति के बजाय नौकरशाही की हठधर्मिता का प्रमाण अधिक लग रहे हैं। व्यवस्थापकों की यूनियन ने इस पूरी प्रक्रिया को अव्यावहारिक करार दिया है। यूनियन का आरोप है कि कम्प्यूटराइजेशन के लिए न तो कोई उचित प्रशिक्षण दिया गया और न ही डेटा फीडिंग के लिए कुशल कार्मिकों का चयन हुआ। आरोप यह भी है कि अनुभवहीन वेंडर्स के अकुशल कार्मिकों के माध्यम से आधी-अधूरी योजना थोपी जा रही है और प्रशिक्षण तथा हार्डवेयर खरीद के नाम पर बड़ी राशि का बंदरबांट किया जा रहा है।

राजस्थान में 'सहकार सप्ताह' का आगाज : 29 जून से 6 जुलाई तक गूंजेगा "सहकार से समृद्धि" का नारा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सफल आयोजन हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

सहकारिता विभाग शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा निर्देश दिए हैं कि सहकार सप्ताह के दौरान आमसभाओं में ऑडिट रिपोर्ट का वाचन और सोशल ऑडिट अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए तथा इन सभी गतिविधियों के सफल आयोजन के लिए जिला और खंड स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। विभाग का प्रयास है कि इन पहलों के माध्यम से सहकारिता को "सहकार से समृद्धि" के मूल मंत्र के साथ जोड़कर राज्य के हर नागरिक तक पहुँचाया जा सके।

जयपुर, राजस्थान में सहकारी आंदोलन को नई गति और मजबूती देने के उद्देश्य से 29 जून 2026 से 6 जुलाई 2026 तक "सहकार सप्ताह" का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के गठन के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले इस सप्ताह के दौरान सहकारिता के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक पहल की जाएगी, इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता नाबार्ड द्वारा तैयार 'एचआर पॉलिसी' और सहकारिता विभाग द्वारा तैयार 'सहकार नीति' का विमोचन होगा। इन दोनों नीतियों का अनावरण राज्य में सहकारी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और व्यावसायिकता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नीतियां न केवल सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन को सुदृढ़ करेंगी, बल्कि सहकारिता के माध्यम से आम नागरिकों की समृद्धि के मार्ग को और अधिक प्रशस्त करेंगी सहकार सप्ताह के दौरान 5 जून से सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, ई-पैक्स, ऑन-सिस्टम ऑडिट और डे-एण्ड की प्रक्रिया को शत-प्रतिशत करने के लिए तीन विशेष अभियान चलाए जाएंगे, जिन्हें चयनित होने पर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सहकार जागृति अभियान के तहत ग्राम सेवा सहकारी समिति और दुग्ध उत्पादक समितियों के पदाधिकारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेयरी समितियों को बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम वितरित किए जाएंगे और 'भारत टैक्सी' का प्रचार-प्रसार किया जाएगा, साथ ही, पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा देते हुए 4 जुलाई को 'ग्रीन कोऑपरेटिव दिवस' के रूप में मनाते हुए राज्य भर में लगभग 50 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, आकांक्षी जिलों में सहकार रथ, प्रभात फेरियां और रैलियों का आयोजन कर सहकारिता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाया जुर्माना

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'नो योर कस्टमर' (केवाईसी) से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन न करने पर राजस्थान के 'जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक' पर ₹2 लाख (दो लाख रुपये) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है । केंद्रीय बैंक द्वारा यह आदेश 22 मई 2026 को जारी किया गया, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत आरबीआई को मिली शक्तियों के अंतर्गत आता है ।यह कार्रवाई नाबार्ड द्वारा 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए बैंक के वैधानिक निरीक्षण के बाद शुरू हुई । निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों के आधार पर बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । इस नोटिस पर बैंक के लिखित जवाब, अतिरिक्त दस्तावेजों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक पर लगे आरोप पूरी तरह सही थे । बैंक मुख्य रूप से दो मोर्चों पर विफल रहा, जिसमें पहला खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा करने की व्यवस्था न बनाना और दूसरा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने ग्राहकों के केवाईसी विवरण को अपडेट न करना शामिल था । भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है । साथ ही, इस जुर्माने के बाद भी बैंक के खिलाफ अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।

आधार सत्यापन में असमर्थ किसानों के लिए सीसीबी बैंक ने गठित की 'जीआरए' कमेटी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने अल्पकालीन फसली ऋण वितरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बैंक प्रबंधन ने आदेश जारी कर प्रत्येक शाखा स्तर पर ग्रिवेंस रिड्रेसल ऑथोरिटी यानी जीआरए का विधिवत गठन कर दिया है, ताकि उन किसानों को राहत मिल सके जिन्हें तकनीकी कारणों से ऋण प्राप्त करने में परेशानी आ रही है। प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा जारी निर्देशानुसार, यह व्यवस्था विशेष रूप से उन किसानों के लिए तैयार की गई है जिनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (अंगूठा निशान) किन्हीं कारणों से संभव नहीं हो पा रहा है। अक्सर वृद्ध किसानों या अन्य तकनीकी समस्याओं के चलते आधार सत्यापन विफल हो जाता है, जिससे उनकी अधिकतम साख-सीमा को पैक्स या लेम्पस द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में किसान अपना आवेदन जीआरए के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। जीआरए कमेटी में विभागीय निरीक्षक संयोजक के रूप में कार्य करेंगे, जबकि सहायक अधिशाषी अधिकारी (ऋण पर्यवेक्षक) सदस्य सचिव और संबंधित पैक्स के व्यवस्थापक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि संबंधित ऋण पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वे संयोजक के साथ मिलकर प्रत्येक सात दिनों में अनिवार्य रूप से जीआरए की बैठक आयोजित करें और प्राप्त आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। बैंक ने जसवंतपुरा, रामसीन, आहोर, जालोर, अरणाय, धुम्बड़िया, मेंगलवा, सायला, सांचौर, चितलवाना, रानीवाड़ा और भीनमाल सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए शाखावार निरीक्षकों को जीआरए संयोजक के रूप में नियुक्त किया है। जीआरए द्वारा आवेदनों का गहन परीक्षण किया जाएगा और यदि किसान पात्र पाया जाता है, तो कमेटी आधार सत्यापन में छूट देने की अनुशंसा करेगी। इस अनुशंसा के आधार पर किसान का ऑनलाइन पंजीयन कर उन्हें बिना आधार आधारित अभिप्रमाणन के फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य उन किसानों को फिर से साख चक्र से जोड़ना है जो तकनीकी बाधाओं के कारण ऋण प्राप्त करने से वंचित रह गए थे।

शहरी सहकारी बैंकों को फिर से लाइसेंस दे सकता है आरबीआइ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली, आरबीआइ एक बार फिर से शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए नए लाइसेंस जारी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इस सेक्टर में नए बैंकों के आने पर लगी दो दशक पुरानी रोक खत्म हो जाएगी। वर्ष 2004 में आरबीआइ ने नए यूसीबी को लाइसेंस देना बंद कर दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह की चर्चा आरबीआइ द्वारा इस संबंध में जनवरी में जारी एक चर्चा पत्र जारी करने के बाद शुरू हुई। इसमें इस बात पर राय मांगी गई थी कि क्या शहरी सहकारी बैंकों को फिर से लाइसेंस देना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआइ को इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उद्योग से जुड़े लोगों ने इस कदम का समर्थन किया है और साथ ही सुझाव दिया है कि यूसीबी शुरू करने के लिए प्रस्तावित न्यूनतम पूंजी की जरूरत (300 करोड़ रुपये) को कम किया जाए। इसमें यह भी बताया गया है कि 2004 के बाद से शहरी सहकारी बैंकों के लिए नियामकीय निगरानी में काफी सुधार हुआ है और ऐसे में आरबीआइ को लाइसेंस फिर से देने पर विचार करना चाहिए। अपने चर्चा पत्र में आरबीआइ ने नए यूसीबी को इस सेक्टर में आने की अनुमति देने के कई संभावित फायदे भी बताए हैं। मार्च 2025 तक भारत में 1,457 शहरी सहकारी बैंक थे, जिनकी कुल संपत्ति 7.38 लाख करोड़ रुपये और जमा राशि 5.84 लाख करोड़ रुपये थी।

पैक्स कर्मचारी राज्य सेवा के दायरे में नहीं, चुनाव लड़ने पर भी रोक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर - सहकारिता विभाग ने पैक्स में कार्यरत व्यवस्थापकों और प्रबंधकों की सेवा स्थिति को लेकर चल रहे लंबे संशय पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। विभाग ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि ये कार्मिक राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। सरकार के इस कदम से सहकारिता क्षेत्र के कर्मचारियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा के पंचम सत्र के दौरान विधायक प्रशांत शर्मा द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता विभाग ने यह स्थिति साफ की है। विभाग के अनुसार, सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत इन समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक और प्रबंधक सरकारी सेवा की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा संबंधी नियम पूर्णतः सहकारी समितियों के अपने उपनियमों के अधीन हैं, न कि सरकारी सेवा नियमावली (आरएसआर) के।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैक्स में कार्यरत ये कर्मचारी पंचायती राज संस्थाओं या नगर निकायों के चुनावों में प्रत्याशी के रूप में भाग लेने के पात्र नहीं हैं। इसके साथ ही, प्रदेशभर के सहकारी कर्मियों को बड़ा झटका देते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि वर्तमान में इन कार्मिकों को राज्य सेवा के अंतर्गत शामिल करने या राजकीय कर्मचारी घोषित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। विभाग के इस लिखित स्पष्टीकरण के बाद अब सहकारी समितियों के कार्मिकों की सेवा शर्तों और चुनावी भागीदारी को लेकर पैदा हुई असमंजस की स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है।

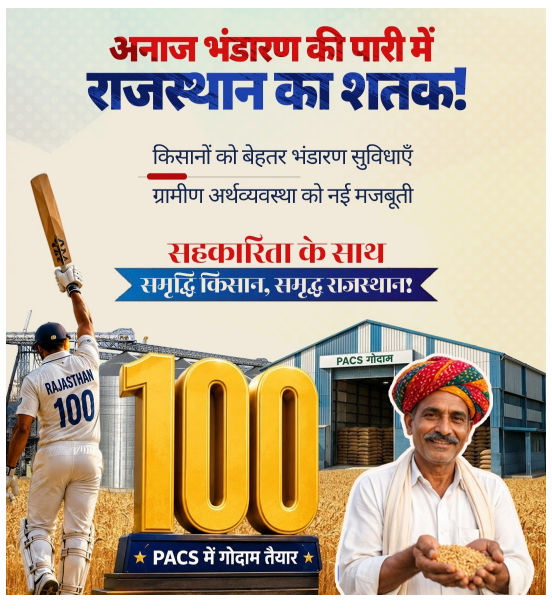

पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े जमीनी स्तर के अधिकारी और पैक्स व्यवस्थापक

सहकारिता मंत्री और शासन सचिव ने ली केंद्रीय सहकारी बैंकों की समीक्षा बैठक; पैक्स कंप्यूटराइजेशन 28 जून तक पूर्ण करने के निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

पेंडेंसी जीरो करने और माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग के निर्देश

शासन सचिव ने बताया कि आगामी 29 जून से 6 जुलाई तक 'सहकार सप्ताह' मनाया जाएगा, जिसके तहत सभी बैंकों को अपनी लंबित कार्यवाहियों (पेंडेंसी) को शून्य करने के निर्देश दिए गए हैं । बैठक के अंत में शासन सचिव ने सभी प्रबंध निदेशकों को जमीनी स्तर (माइक्रो लेवल) पर कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करने को कहा । इस समीक्षा बैठक में विभिन्न बैंकिंग मापदंडों के आधार पर बेहतर और कमजोर प्रदर्शन करने वाले बैंकों का विस्तृत विश्लेषण किया गया और उनके प्रदर्शन के अनुसार अलग-अलग रैंकिंग भी तैयार की गई ।

जयपुर,। राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (अपेक्स बैंक) द्वारा शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्रीय सहकारी बैंकों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई । इस बैठक की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और सहकारिता विभाग के शासन सचिव व रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने की । बैठक में अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक रणजीत सिंह चूण्डावत सहित सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए । यह पहली बार था जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला सहकारी बैंकों के शाखा प्रबंधकों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) के व्यवस्थापकों को भी जोड़ा गया और 'सहकार से समृद्धि', 'सहकारिता में सहकार' व 'पैक्स कंप्यूटराइजेशन' जैसे गंभीर विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई । बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने सभी सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय में विविधता (बिजनेस डाईवर्सीफिकेशन) लाने के निर्देश दिए । उन्होंने बैंकों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए नए खाते खोलने और जमा राशि बढ़ाने पर विशेष जोर दिया । शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने एजेंडा वार हर बिंदु पर चर्चा करते हुए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को आधार प्रमाणित उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश जारी किए । पैक्स कंप्यूटराइजेशन के कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी बैंकों को आगामी 28 जून, 2026 से पहले हर हाल में 'डायनेमिक डे-एंड' की स्थिति हासिल करने के सख्त निर्देश दिए । शासन सचिव ने बैठक में एक बड़ी उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के उत्कृष्ट पैक्स मापदंडों के अनुसार राजस्थान के अलवर जिले की 'नवगांव समिति' पूरे देश में प्रथम स्थान पर रही है, जिसके लिए उन्होंने पैक्स और बैंक प्रबंधन को बधाई दी । इसके साथ ही, भारत सरकार के "सहकारिता में सहकार" कार्यक्रम के तहत निर्देश दिए गए कि सभी दुग्ध सहकारी समितियों के खाते अनिवार्य रूप से सहकारी बैंकों में खोले जाएं । इन समितियों को बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम जारी किए जाएं और आवश्यक ट्रांजेक्शन सुनिश्चित किए जाएं ।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक प्रकाश वैष्णव के लिए वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)
समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।